

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :26 / 2021

तारीख दायर : 21.09.2021

अनवान

01. मोहन लाल पिता मुणताल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.
02. रामलाल पिता मुणताल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.

..... प्रार्थी

बनाम

01. जीतमल पिता ऊंकार जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.
02. कन्हैयालाल पिता ऊंकार जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.
03. शम्भुलाल पिता होकमीचन्द्र जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज.

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 20/11/2021

प्रार्थना पत्र हम मोहन लाल. रामलाल पिता मुणताल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का बिजौलिया तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 93 पर अंकित आराजी सं. 101/4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान ~~करिया~~ में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का बिजौलिया तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 93 पर अंकित आराजी सं. 101/4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू0अ0नि0 बिजौलिया खूर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



प्रभारी अधिकारी
प्रशासन (सीमासंतिगठन-2021)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (सीमावाड़ा)